

राजस्थान सरकार

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

जयपुर, दिनांक : 25 JUN 2026

सं. एफ. 6(2)वित्त/कर/2019/पार्ट-01:- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प. 6(2)वित्त/कर/2019/पार्ट-01 दिनांक 10.06.2026 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण के सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,



(नथमल डिडेल)

विशिष्ट शासन सचिव

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

"अधिसूचना

जयपुर, दिनांक : जून 10, 2026

राजस्थान वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम सं. 9) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक पं. 2(26)वित्त/कर/2006/91 दिनांक 25.09.2006 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 4 के अधीन गठित राजस्थान राजस्व और कर बोर्ड को उक्त अधिनियम की धारा 28 के प्रयोजन के लिए इसके द्वारा पुनरीक्षण प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

(सं. एफ.6(2)वित्त/कर/2019/पार्ट-01)

राज्यपाल के आदेश से,

ह0

(नथमल डिडेल)

विशिष्ट शासन सचिव"

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को सॉफ्ट कॉपी सहित आसाधारण राजपत्र भाग 4 (ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावें। कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि आपको प्रकाशन के लिए प्रेषित सॉफ्ट कॉपी तथा हार्ड कॉपी एक समान हैं।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (कराधान), राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
4. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
6. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
8. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
9. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।



विशिष्ट शासन सचिव